यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) द्वीतीय, राज्य कर, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) द्वीतीय, राज्य कर, हल्द्वानी के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, एवं श्री रमेश कुमार केशरी, एवं श्रीमती रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.11.2018 से 04.12.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवि भूषण लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.12.17 से 28.12.17 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः नैनीताल रोड का पश्चिमी भाग/ मुख्यतः ट्रेडर्स**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	4701.98
2016-17	6000.06
2017-18	1787.21

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-			-	-	-	
2016-17	-	-			-	-	-	
2017-18	-	-			-	-	-	

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) द्वीतीय, राज्य कर, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: **- 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

व्यय: **- -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर-01 अधिक वापसी एवं कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति `118.12 लाख

शासन के पत्र संख्या 3909/XXVII (8)/14 (120)/2006 दिनांक 25/02/2009 (वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की समाधान योजना) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक के माल के आयात की स्थिति मे कुल प्राप्त धनराशि पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि भुगतान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

शासन के पत्र सं0 330/2012/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा समाधान योजना 01.04.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लागू की गयी थी।जिसमे संविदा की सकाल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जाएगी। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या- 380/2013/02(120)/ XXIII(8)/ 2013 दिनांक 28.03.2013 के द्वारा अविभाजित सिविल एवं अविभाजित विद्युत संविदाकारों मे दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए समाधान योजना लागू किया गया। जिसमे निम्न परिवर्ती शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन अविभाजित सिविल सकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत सकर्म संविदा को निष्पादित करने वाले पंजीकृत सिविल संविदाकारो एवं पंजीकृत विद्युत संविदाकारो हेतु देय कर के बदले समाधान राशि निश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

(क) ऐसे मामले जिनमे सिविल संविदाकार केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है अथवा उनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने तक अथवा उससे पूर्व अपना केंद्रीय बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु surrender कर दिया गया हो, और उनके द्वारा योजना की अवधि मे कोई आयात न किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना उपरोक्त के अनुसार आगणित धनराशि का 2 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

(ग) जिन मामलो मे सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) मे वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जाएगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूप पत्रो की प्रस्तुति ऐसी रीति व समय के अंदर किया जाएगा जैसा की नियम 11 मे निर्धारित है।

बिन्दु (13) के अनुसार धारा 7 की उपधारा (2) मे समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात संबन्धित संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकेगा।

कार्यालय उपायुक्त (क0 नि0),-द्वितीय, राज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि संविदाकार सर्वश्री वूड हिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 हल्द्वानी टिन संख्या 05001423306 समाधान वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 मे संविदी विभाग से कुल भुगतान क्रमशः ` 45,21,08,326 ( टीडीएस ` 2,50,62,081) एवं ` 91,19,76,529 ( टीडीएस ` 5,91,89,355) प्राप्त होना घोषित किया गया था। जबकि फार्म 08 के अनुसार

सकल भुगतान वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 मे क्रमशः ` 47,37,91,119 एवं ` 1,01,25,79,585 (संलग्नक 01 एवं 02 के अनुसार) प्राप्त हुआ था।

संविदाकार द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 मे प्रांत बाहर से क्रमशः ` 19,29,57,170 एवं ` 45,19,00,551 का बिटुमिन, इमल्शन, एल डी ओ, आर सी सी पाइप आदि का क्रय तथा क्रमशः ` 4,19,29,285 एवं ` 7,25,54,739 का ओल्ड रोलर, ओल्ड प्लांट, बेल्डिंग राड, तर जे0सी0 बी0 आदि का क्रय किया गया है। जो कि कुल सविदा मे प्राप्त धनराशि का 40.73 प्रतिशत (`192957170 x 100/ `47,37,91,119) एवं 44.63 प्रतिशत (`451900551 x 100/ `12579585) है। वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 मे संविदा मे प्राप्त धनराशि मे वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 के लिए 3 प्रतिशत की दर से, वर्ष 2012-13 के लिए 6 प्रतिशत की दर से एवं वर्ष 2013-14 व 2014-15 के लिए 6 प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि का निर्धारण होगा। जबकि कर निर्धारण आदेश के अनुसार वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 के लिए 1 प्रतिशत, वर्ष 2012-13 के लिए 4 प्रतिशत की दर से समाधान राशि का निर्धारण किया गया है। समाधान राशि कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ` 26817637 एवं वर्ष 2014-15 के लिए ` 60717325 (संलग्नक 01 एवं 02 के अनुसार) निर्धारित होगा। इस प्रकार वर्ष 2013-14 मे टीडीएस की धनराशि ` 2,50,62,081+` 40,500 =2,51,02,581 को घटाने के पश्चात कुल ` 17,15,056 (` 2,68,17,637 -` 2,51,02,581) की कर की मांग निकलती है संविदाकार को संगत वर्ष मे ` 28,59,728 की वापसी की गयी थी। अतः कुल ` 45,74,784 (` 17,15,056 +` 28,59,728) वसूली योग्य है एवं वर्ष 2014-15 मे टीडीएस की धनराशि ` 5,91,89,355 को घटाने के पश्चात कुल ` 1527970 (` 60717325 -` 5,91,89,355) की कर की मांग निकलती है संविदाकार को संगत वर्ष मे 57,09,610 की वापसी की गयी थी। अतः कुल ` 7237580 (` 1527970 + `57,09,610) की वसूली योग्य है। इस प्रकार कुल ` 11812364 (` 45,74,784 + ` 7237580) की वसूली संविदाकार से किया जाना है।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि संविदाकार द्वारा वर्ष 2009-10 से लेकर वर्ष 2011-12 तक 01 प्रतिशत एवं वर्ष 2012-13 के लिए 4 प्रतिशत कि दर से समाधान योजना का विकल्प अपनाया गया है। 05 प्रतिशत से अधिक आयातित माल पर नियमानुसार धारा 25(7) के अंतर्गत कर आरोपित किया जा चुका है। संविदाकार को प्राप्त कुल भुगतान की गणना संविदाकार के टी डी एस कटौती की धनराशि पर समाधान की दर के मद्देनजर रिवर्स गणना के आधार पर की गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।संविदी विभागो द्वारा टी डी एस की कटौती कतिपय मामलो मे संविदा की कुल धनराशि पर कर दी जाती है, जबकि वित्तीय वर्ष मे संविदाकार को किया गया भुगतान संविदा की कुल धनराशि का भाग होता है। संविदी विभाग द्वारा प्रारूप-08 जो कि विभागीय प्रारूप है, मे जारी प्रमाण पत्र को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है। संविदाकार द्वारा दाखिल प्रारूप-08 मे स्पष्टतः संविदी विभाग द्वारा संविदाकार को किए गए भुगतान का ब्योरा दिया गया है। उक्त प्राप्त भुगतान को ही संविदाकार का संबन्धित वर्ष उक्त प्राप्त भुगतान के आधार पर ही संविदाकार को संबन्धित वर्ष मे प्राप्त कुल भुगतान का आधार बनाया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लिए समाधान राशि की गणना उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु 03 (ङ) के स्पष्टीकरण के अनुसार जहां तक 01.04.2013 से पूर्व की संविदाओ के विरुद्ध इस योजना की अवधि मे प्राप्त भुगतान राशि का संबंध है, उस पर नियमानुसार पूर्व समाधान योजना के अंतर्गत प्रविधानित व्यवस्था के अनुरूप समाधान राशि की गणना की जाएगी, क्योकि संविदाओ द्वारा तत्समय लागू समाधान योजना के अनुसार अनुबंध किया गया था। चूंकि 5 प्रतिशत से अधिक का माल आयात किया गया था इस लिए पूर्व मे लागू समाधान योजना के अनुसार समाधान राशि

का निर्धारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। प्रारूप-08 मे स्पष्ट है की सकल भुगतान संविदाकार को कितना किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त भुगतान की धनराशि को न लेकर शुद्ध भुगतान की धनराशि को लेकर समाधान राशि की गणना की गयी है। क्योकि एक अनुबंध का ही कई बार भुगतान प्राप्त हुआ है एवं उसी अनुरूप टी डी एस काटा गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स गणना करके समाधान राशि की गणना किए जाने को बिना जांच के ही अपने उत्तर मे कहा गया है। वर्ष 2014-15 के समाधान कर निर्धारण आदेश मे ` 40,500 का लाभ टी डी एस की धनराशि मे जोड़कर वापसी की गयी है।

अतः धनराशि ` 11812364 (` 4574784 + ` 7237580) की वसूली संविदाकार से किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक-01

कर निर्धारण वर्ष 2013-14

क्र0 सं0	अनुबंध का वर्ष	प्राप्त भुगतान (कर निर्धारण आदेश के अनुसार)	समाधान की दर (कर निर्धारण आदेश के अनुसार)	समाधान की धनराशि (कर निर्धारण आदेश के अनुसार)	लेखापरीक्षा के अनुसार प्राप्त सकल धनराशि मे अंतर					कुल सकल धनराशि जिस पर समाधान धनराशि निर्धारित होगा (03+09)	समाधान की दर (11 x12)	समाधान राशि	अंतर की राशि (13-05)
01	02	03	04	05						11	12	13	14
					फार्म 08 की संख्या	सकल धनराशि	धनराशि जिस पर समाधान राशि की गणना की गयी है।	अंतर की धनराशि	अनुबंध का वर्ष				
					06	07	08	09	10				
01	वर्ष 09-10 से वर्ष 11-	53661027	1%	536610						53661027	3%	1609831	1073221

	12												
02	वर्ष 12-13	110029763	4%	4401191	193500	16741888	14883753	1858135	12-13	111887898	6%	6713274	2312083
03	वर्ष 13-14	288417536	6%	17305052	148573	54172379	38807540	15364839	13-14	308242194	6%	18494532	1189480
					087111	39433100	34973281	4459819	13-14				
					अंतर का योग								
योग		**452108326**		**22242853**				**21682793**		**473791119**		**26817637**	**4574784**

संलग्नक-02

कर निर्धारण वर्ष 2014-15

क्र0 सं0	अनुबंध का वर्ष	प्राप्त भुगतान	समाधान की दर	समाधान की धनराशि	लेखापरीक्षा के अनुसार प्राप्त सकल धनराशि
		कर निर्धारण आदेश का अनुसार			

01	02	03	04	05	धनराशि जिस पर			
					फार्म 08 की संख्या	सकल धनराशि	समाधान राशि की गणना की गयी है।	अंतर की धनराशि
01	वर्ष 09-10 से 11-12 तक	1248314	1%	12483				
02	वर्ष 12-13	58821615	4%	2352864	014435	24858972	22892400	1966572
03	वर्ष 13-14 एवं 14-15 तक के	851906600	6%	51114396	151801	269518651	240235868	2928278
					149426	53364269	44679062	8685207
					010695	12778054	1153119	1162493
					167517	82584233	50216284	3236794
					167518	41626402	17832407	2379399
					167519	6996297	2694268	4302029
					037300	127588350	109725911	1786243
					अंतर का योग			**1298859**
योग		**911976529**		**53479743**				

भाग दो ब

प्रस्तर-कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 73.94 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा (a) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रतिशत विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय उपायुक्त (क0 नि0),-द्वितीय, राज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि संविदाकार सर्वश्री वूड हिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 हल्द्वानी टिन संख्या 05001423306 समाधान वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 मे संविदाकार द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 मे प्रांत बाहर से क्रमशः ` 19,29,57,170 एवं ` 45,19,00,551 का बिटुमिन, इमल्शन, एल डी ओ, आर सी सी पाइप आदि का क्रय किया गया है। तथा क्रमशः ` 4,19,29,285 एवं ` 7,25,54,739 का ओल्ड रोलर, ओल्ड प्लांट, बेल्डिंग राड, जे0सी0 बी0 आदि का क्रय किया गया है। पत्रवाली पर बैलेन्स शीट संलग्न नहीं थी। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 मे संविदाकार द्वारा ` 4,19,29,285 एवं ` 7,25,54,739 का ओल्ड रोलर, ओल्ड प्लांट, बेल्डिंग रोड, जे सी बी आदि की खरीद प्रांत के बाहर से की गयी थी। पत्रावली पर बैलेन्स शीट संलग्न नहीं थी । बैलेन्स शीट के अभाव मे उक्त खरीद मे से प्लांट एवं मशीनरी खरीद को बिक्री मानते हुये कर 13.5 प्रतिशत की दर से वर्ष 2013-14 मे ` 34,07,080 (` 2,52,37,628 x 13.5%) एवं वर्ष 2014-15 मे ` 34,34,820 (` 2,54,43,114 x 13.5%) तथा 5 प्रतिशत की दर से कर 2013-14 मे ` 3,18,809 (` 63,76,189 x 5%) एवं वर्ष 2014-15 मे ` 2,34,128 (` 46,82,560 x 5%) कुल 73,94,837 का कर आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि संविदाकार द्वारा न केवल उत्तराखंड राज्य मे बल्कि अन्य राज्यो मे भी संविदा का कार्य किया जाता है, जिस हेतु संविदाकार द्वारा अपनी consolidated बैलेन्स शीट का निर्माण कराया जाता है। बैलेन्स शीट की मांग संविदाकार द्वारा की गयी है। बैलेन्स शीट प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो "ब"

प्रस्तर ;–संविदाकार को प्राप्त सकल भुगतान में कर राशि न घटाये जाने के कारण राजस्व क्षति रु.5.29 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम **की** धारा 14(1) के अनुसार किसी सकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल में सम्पत्ति के अन्तरण(चाहे माल के रुप में हो या किसी अन्य रुप में)से सम्बन्धित कारबार के आवर्त पर धारा 4 की उपधारा(5) के खण्ड (ख) के अधीन कर की संगणना सकर्म संविदाओं से सम्बन्धित शुद्व आर्वत पर की जायेगी। धारा 4 (5) (ख) प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई माल सकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त हो और ऐसे माल पर राज्य के अन्दर पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर धारा 3 के उपबन्धों के अधीन धारा 4 की उपधारा 2 में विहित दर पर कर का भुगतान किया गया है, तो सकर्म संविदा के अन्तरगत सकल आवर्त में से ऐसे माल की क्रय कीमत को घटा दिया जायेगा।

उपायुक्त (क0नि0)–2 राज्यकर विभाग हल्द्वानी के माह 04/2017 से 03/2018तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ब्यौहारी सर्वश्री टी0टी0बिल्डकान प्रा0लि0 हल्द्वानी टिन 05012500221 कर निर्धारण वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 की पत्रावलियों के अनुसार व्यौहारी सिविल संविदाकार के रुप में पंजीकृत है।

ब्यौहारी के कर निर्धारण आदेश उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) सपठित नियम –14 के अन्तर्गत किये गये । कर निर्धारण वर्ष 2013–14 में सकल प्राप्ति धनराशि रु.6,11,77,525.00 पर रु.1,07,889.00 तथा कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल प्राप्ति रु.4,77,77,384.00 पर रु.59201.00 समाधान राशिया निर्धारित की गयी थी।

ब्यौहारी द्वारा वर्ष 13–14 में प्रान्तीय पंजीकृत व्यौहारियों से रु.2,29,58,911 तथा **वर्ष** 14–15 में रु.1,60,25,900 अर्थात कुल रु.3,89,84,811 का माल खरीदा **गया** तथा संविदा में सकल प्राप्त धनराशि से घटाया गया किन्तु इस धनराशि में **शामिल** कर की राशि को नही घटाया गया? जिस पर करारोपण निम्नवत किया जाना था।

वर्ष	करसहित प्रान्तीय खरीद	विवरण	धनराशि	कर की दर	कर की राशि जो नही घटायी गयी	अनारोपित कर
2013–14	2,29,58,911	70 प्रतिशत	1,60,71,238	13.5%	21,69,617	2,95,598

		30 प्रतिशत	6887673	5%	3,44,384	17,219
2014–15	1,60,25,900	70 प्रतिशत 30 प्रतिशत	1,12,18,130 48,07,770	13.5% 5%	15,14,448 2,40,389	2,04,450 12,019
				योग	42,68,838	5,29,286

इस प्रकार से रु.5,29,286.00 कर अनारोपित रह जाने से राजस्व क्षति से इन्कार नही किया जा सकता है।

उपरोक्त के संबन्ध में लेखापरीक्षा **द्वारो** इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि खरीद मूल्य (purchase Price) की परिभाषा जो कि मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 में दीगई है, के अनुसार purchase price means the amount of valuable consideration paid or payable by a person for the purchase of any goods ,less any sum allowed by the seller as cash discount according to trade practice and shall include any sum charged for anything done by the seller in respect of the goods at the time of or before delivery their of , other than the cost of freight or delivery or the cost of of installation when such cost is separately charged . कुल आवर्त से घटाया जायेगा।

पुन; समप्रेक्षा दल को अवगत कराना है, कि नियम –14 (2)(C) में स्पष्ट किया गया है कि the amount representing the value of the goods on the sale or purchase where tax has been levied or is leviable under the act at some earlier stage.

Value of goods की परिभाषा निम्नवत है;–

'Value of goods' means the value as ascertained from the purchase invoice(s)/bills(s) and includes insurance charges ,excise duties, countervalling duties, sale tax, transport charges, freight charges and all other charges incidental to the transaction of the goods: अत; उपरोक्त के आलोक में सम्प्रेक्षा द्वारा लगाई गयी आपत्ति निक्षेप योग्य है।

विभाग का उत्तर इस आधार पर अमान्य है, क्योंकि क्रय की परिभाषा में कर **शामिल** नही है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Value of goods की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, तो Value of goods का इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध नही है। चूँकि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर

अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अधीन धारा 4 की उपधारा 2 में विहित दर पर कर का भुगतान किया गया है, तो सकर्म संविदा के **अन्तर्गत** सकल आवर्त में से ऐसे माल की क्रय कीमत को घटा दिया जायेगा न कि कर अत; कर की राशि जो सकल भुगतान में से क्रय घटाने के समय नही घटायी गयी थी पर अनारोपित कर रु.5.29 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग दो "ब"

प्रस्तर – विभाग द्वारा श्रम संविदाओं की प्रतियॉ उपलब्ध न कराया जाना।

उपायुक्त (क0नि0)–2 राज्य कर हल्द्वानी कार्यालय के माह 04/2017 से 03/2018तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ब्यौहारी सर्वश्री टी0टी0बिल्डकान प्रा0लि0 हल्द्वानी टिन 05012500221 कर निर्धारण वर्ष 2013–14 तथा 2014–14 की पत्रावलियों के अनुसार व्यौहारी सिविल संविदाकार के रुप में पंजीकृत है।

ब्यौहारी के कर निर्धारण आदेश उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) सपठित नियम –14 के अन्तर्गत किये गये । कर निर्धारण वर्ष 2013–14 में सकल प्राप्ति धनराशि रु.6,11,77,525.00 पर रु.1,07,889.00 तथा कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल प्राप्ति रु.4,77,77,384.00 पर रु.59201.00 समाधान राशिया निर्धारित की गयी थी।

पत्रावली की जॉच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा निम्नलिखित से श्रम संविदा पर किये गये कार्यो के लिये भुगतान प्राप्त किया गया किन्तु उक्त संविदीयों द्वारा टी0डी0एस0 की कटौती का पत्रावली पर कोई उल्लेख नही पाया गया।

2.श्रम संविदा पर किये गये कार्यो का विवरण;–

क.सं.	संविदी विभाग का नाम	वर्ष 13–14 में प्राप्त सकल भुगतान	वर्ष 14–15 में प्राप्त

			सकल भुगतान
1.	के0आर0इन्फ्राप्रमोटर्स प्रा0लि.	4,00,000	20,42,720
2.	सिटी एजूकेशनल एण्ड सोशियल वेलफेयर सोसायटी	74,19,641	19,36,313
3.	इन्द्रापुरम हैबीवेट सेंटर प्रा0लि0	14,39,230	37,25,216
4.	विष्णु एजूकेशनल फाउण्डेशन	42,30,654	24,63,561
5.	मंजीत सिंह	—	3,00,156
6.	मुन्नी गुप्ता	—	13,00,000
7.	देवभूमि फाउण्डेशन	—	22,59,042
8.	बी0एन0जी0लैण्ड डेवलपर्स	—	10,08,152
9.	के0एस0डी0 चेरिटेबल ट्रस्ट		25,32,698
	योग	1,34,89,525	1,75,67,858

उपरोक्त श्रम संविदा कार्यो का अनुबन्ध पत्रावली पर उपलब्ध नही है। उक्त संविदाये श्रम संविदाये ही थी इसके लिये श्रम संविदाये लेखापरीक्षा द्वारा मॉगी गयी इसके उत्तर में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी कि वांछित अनुबन्ध की प्रतियां सम्प्रेक्षा दल को उपलब्ध करा दी गयी है। किन्तु वास्तव में अपेक्षित श्रम संविदा की प्रतिया सम्प्रेक्षा दल को उपलब्ध नही करायी गयी। अतएवं श्रमसंविदा की सत्यापित प्रतियां सम्प्रेक्षा को उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-04 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.06 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 (1) के सारणी क्रमांक 1 के अनुसार, ऐसे ब्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में ` 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है, वह **कर**, समाधान धनराशि विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक जमा करेगा ।

अधिसूचना संख्या 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 26.03.2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 से **कर**, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक जमा करेगा ।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है, तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो, उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-द्वीतीय, राज्य कर विभाग, हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **संलग्नक-'क'** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया गया है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार ` 1,05,700 (अर्थात् ` 1.06 लाख) अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा सभी प्रकरणों में बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.06 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक– “क”

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम सं0	ब्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (` में)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) (` में)
1.	सर्वश्री लिपि इण्टरप्राईजेज, हल्द्वानी । (टिन नं0 05001699271)	2014-15	9/2014	1,81,000	20.10.2014	27.10.2014	7 दिन	18,100
2.	सर्वश्री लक्ष्मी टी एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, हल्द्वानी । (टिन नं0 05001685885)	2014-15	7/2014	2,09,482	20.08.2014	25.08.2014	5 दिन	20,948
3.	सर्वश्री तलवार इण्टरप्राईजेज, हल्द्वानी । (टिन नं0 05001693160)	2014-15	01/2015	6,66,520	20.02.2015	26.02.2015	6 दिन	66,652
							योग	**1,05,700**

भाग- 2 (ख)

प्रस्तर- अनियमित आई0टी0सी0 का लाभ ` 1.91 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2(31) के अनुसार, "क्रय कीमत" से किसी माल के क्रय के लिये किसी व्यक्ति द्वारा कारबार प्रथा के अनुसार नकद डिस्काउंट के रूप में विक्रेता द्वारा अनुज्ञात किसी रकम को घटा कर, संदत्त या देय मूल्यवान प्रतिफल की रकम अभिप्रेत है और इसमें उस माल के परिदान के समय या उसके पूर्व माल के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा की गई किसी बात के लिये प्रभारित कोई रकम भाड़े या परिदान की लागत के या संस्थापन की लागत के लिये जब ऐसी लागत पृथकतः प्रभारित की गई हो, से भिन्न राशि सम्मिलित होगी ।

पुनः अधिनियम की धारा 6(8)(झ) के अनुसार, पूँजीगत माल से भिन्न माल के क्रय की निम्न दशाओं में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगाः- यदि माल जो चोरी हो गया है या खो गया है या नष्ट हो गया है या कारबार के सामान्य अनुक्रम से भिन्न रीति से निस्तारित कर दिया गया है या निःशुल्क सैम्पल या उपहार के रूप में वितरित किया गया है ।

आगे, धारा 6(16) के अनुसार, यदि उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट उपयोग हेतु क्रय किया गया माल बाद में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है तो उन पर इनपुट टैक्स के लाभ को विलोमित किया जायेगा और उस कर अवधि जिसमें उनका उपयोग अन्यथा किया गया है, के लिये इनपुट टैक्स के लाभ में से घटा दिया जायेगा ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-द्वितीय, वाणिज्य कर/राज्य कर विभाग, हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री कंसल पेपर एजेंसीज, हीरानगर, हल्द्वानी, टिन नं0 05006586325 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी को संगत वर्ष में पेपर की खरीद के सम्बन्ध में ` 38,24,474 के क्रेडिट नोट प्राप्त हुए हैं जिसमें से ` 7,55,633 के क्रेडिट नोट कैश डिस्काउण्ट से सम्बन्धित है तथा शेष ` 30,68,841 के क्रेडिट नोट कोटा कम्पलीशन डिस्काउण्ट तथा ऑफ टेक एकाउण्ट स्कीम आदि से सम्बन्धित है जिस पर विक्रेता व्यापारी दावा कोई आई0टी0सी0 रिवर्स नहीं की गई है । यह डिस्काउण्ट क्रेता व्यापारी को समय से टारगेट अचीव करने व टारगेट से अधिक बिक्री करने पर प्रदान किया गया है जिस पर आई0टी0सी0 रिवर्स नहीं किया गया है । जबकि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा 2(31), 6(8)(झ) एवं 6(16) के अनुसार, ` 38,24,474 की खरीद पर 5% की दर से ` 1,91,224 आई0टी0सी0 रिवर्स किये जाने योग्य है जिसे रिवर्स नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी को कैश डिस्काउण्ट एवं कोटा कम्पलीशन डिस्काउण्ट के सम्बन्ध में जो incentive credit note

प्राप्त हुए हैं उसका खरीद एवं बिक्री से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है । राजस्व की कोई हानि निहित नहीं है ।

विभाग का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त धारा 2(31) के अनुसार, क्रय कीमत की राशि में नगद डिस्काउण्ड की राशि घटा कर अनुज्ञात की जाती है । साथ ही अधिनियम की धारा 6(8)(झ) के अनुसार, क्रेडिट नोट कोटा कम्पलीशन डिस्काउण्ट तथा ऑफ टेक एकाउण्ट स्कीम आदि के सम्बन्ध में आई0टी0सी0 देय नहीं है ।

अतः अनियमित आई0टी0सी0 ` 1.91लाख के लाभ का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-04/2009-10		01	
CT-06/2010-11	01		
CT-33/2011-12		01,02,03	01,02
CT-38/2013-14	01	01,02	
CT-32/2014-15		01,02,03	
CT-52/2016-17		01,02	
CT-121/2017-18		01,002,03	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) द्वीतीय, राज्य कर, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री शशिकान्त आर्य	उपायुक्त (04/17 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) द्वीतीय, राज्य कर, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र